

राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान केन्द्र
(भा.कृ.अ.नु.प.)
लाईब्रेरी एवेन्यू, पूसा, नई दिल्ली 110 012

स्वीकृति आदेश

डॉ/श्री/श्रीमती/कु. ----- को उनके सामान्य भविष्य निधि खाता सं -----
----- से ----- के लिए खर्च करने हेतु सा. भ. नि. नियमावली के नियम
12(1) और 12(2) के अधीन रु ----- (रुपये -----
----- मात्र) की अग्रिम धनराशि, एनकैप के निदेशक की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

पहले स्वीकृत और अदा किये गये अग्रिम धन रु. ----- (रुपये -----
----- मात्र) की राशि निम्नलिखित समेकित राशि की वसूली के आरम्भ तक बाकी रहेगी। इस बकाया
राशि की वसूली अव स्वीकृत कुल रु. ----- के अग्रिम धन की वसूली के साथ की जाएगी। इस प्रकार माह -----
----- के अंतिम कार्य दिवस को दिये जाने वाले वेतन से आरम्भ होने वाली रु. ----- की -----
----- मासिक किस्तों में की जायेगी।

पहले से ही लेखा अनुभाग, एनकैप द्वारा की गई पुष्टि के अनुसार सा. भ. निधि संचय का विवरण नीचे दिया गया है:

- | | | |
|-----|---|-------|
| (1) | वर्ष ----- की लेखा अवधि के अनुसार बकाया | ----- |
| (2) | ----- से ----- तक परवर्ती जमा एवं वापसी | ----- |
| (3) | क्रम सं. (1) और (2) का योग | ----- |
| (4) | परवर्ती निकासी, यदि हो | ----- |
| (5) | स्वीकृति की तिथि के समय बकाया | ----- |
| | क्रम सं. (3) - (4) | ----- |

अधीक्षक

आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति:

1. रोकड़ अनुभाग, एनकैप अदायगी की व्यवस्था हेतु
2. लेखा अनुभाग, एनकैप
3. डॉ/श्री/श्रीमती/कु. -----
4. व्यक्तिगत मिसिल

अधीक्षक

